न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 48/2022

लवप्रीत पुत्र विकास जाति जाट निवासी अजीतपुरा नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुनीता पत्नी स्व0 विकास जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

- सायल

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

- गैरसायलान

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी- **सायल**

वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ - **गैरसायलान**

निर्णय **दिनांक :** 20.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 574/783 के खसरा सं0 1342/467 की 4.161है0, खसरा सं0 440 की 7.120है0, खसरा सं0 611 की 6.095है0 कुल खसरा 3 की कुल 17.376है0 बारानी वादभूमि में प्रार्थी के नाम 12397/34752 हिस्सा, अप्रार्थी रामकुमार के नाम 121733/24326है0, अप्रार्थी सावित्री के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसमें प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। उक्त रिहायशी ढाणी में प्रार्थी के पिता स्व0 विकास के नाम से बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। प्रार्थी के हिस्सा में खसरा सं0 1342/467 की 4.161है0 भूमि तथा शेष 2.482है0 भूमि खसरा सं0 440 में उतरी पूर्वी तरफ की भूमि आई हुई है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के नाम दर्ज उक्त खातेदारी में प्रार्थी के नाबालिग होने एवं प्रार्थी की माता विधवा औरतजात होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ प्रार्थी को काश्त करने में आये दिन अडचन करता रहता है तथा प्रार्थी की ढाणी मे अप्रार्थी सं0 1 शराब आदि पीकर आ जाता है तथा प्रार्थी की माता को गाली गलोच करता है। इस बाबत प्रार्थी की माता ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया है। पक्षकारान का खाता संयुक्त है इसलिए सायल अपना हिस्सा की भूमि के अलग से माल व लगान कायम करवाकर खाता विभाजन करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

अतः सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि सायल के हिस्से की भूमि में उसके कब्जा काश्त में तथा उपयोग व उपभोग में कोई दखल अंदाजी व बाधा स्वयं व अपने आदमियों द्वारा नहीं पहुंचावे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ता 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि प्रार्थी की खसरा सं0 1342, 440, 611 में कोई रिहायशी ढाणी नहीं बनी हुई है। प्रार्थी ने अपनी हिस्साकसरी भी गलत दर्ज की है। सायल की माता ने विकास की आत्महत्या के बाद अपने भाई योगेश से मुकदमा दर्ज करवाकर गैरसायल को दबाव में लाकर 6.1985है0 का दान पत्र सायल के नाम से करवा लिया जबकि गैरसायल व उसके अन्य पुत्र पुत्रियों का भी हक व हिस्सा है। उक्त दान पत्र करवाने के बाद नामान्तरण होने पर सुनीता ने अपने परिवार व बाहर के लोगों को लाकर

Scanned with CamScanner

अजीतपुरा के भागीरथ भाभी के खेत मे चारा लाते हुए अप्रार्थी सं0 1 से जबरन मारपीट कर दिया व भागीरथ के साथ भी मारपीट की व जाति सूचक गालियां निकाली। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। उक्त रिहायशी ढाणी मे प्रार्थी के पिता स्व0 विकास के नाम से बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। प्रार्थी के हिस्सा मे खसरा सं0 1342/467 की 4.161है0 भूमि तथा शेष 2.482है0 भूमि खसरा सं0 440 मे उत्तरी पूर्वी तरफ की भूमि आई हुई है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के नाम दर्ज उक्त खातेदारी मे प्रार्थी के नाबालिग होने एवं प्रार्थी की माता विधवा औरत होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ प्रार्थी को काश्त करने मे आये दिन अड़चन करता रहता है तथा प्रार्थी की ढाणी मे अप्रार्थी सं0 1 शराब आदि पीकर आ जाता है तथा प्रार्थी की माता को गाली गलोच करता है। इस बाबत प्रार्थी की माता ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया है। पक्षकारान का खाता संयुक्त है इसलिए सायल अपना हिस्सा की भूमि के अलग से माल व लगान कायम करवाकर खाता विभाजन करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वकील गैर सायलान द्वारा कथन किया कि प्रार्थी की खसरा सं0 1342, 440, 611 मे कोई रिहायशी ढाणी नही बनी हुई है। प्रार्थी ने अपनी हिस्साकस्सी भी गलत दर्ज की है। सायल की माता ने विकास की आत्महत्या के बाद अपने भाई योगेश से मुकदमा दर्ज करवाकर गैरसायल को दबाव मे लाकर 6.1985है0 का दान पत्र सायल के नाम से करवा लिया जबकि गैरसायल व उसके अन्य पुत्र पुत्रियो का भी हक व हिस्सा है। उक्त दान पत्र करवाने के बाद नामान्तरण होने पर सुनीता ने अपने परिवार व बाहर के लोगों को लाकर अजीतपुरा के भागीरथ भाभी के खेत में चारा लाते हुए गैरसायल से जबरन मारपीट कर दिया व भागीरथ के साथ भी मारपीट की व जाति सूचक गालिया निकाली। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र सायल, जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 प्रथम दृष्टया मामला:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजो से स्पष्ट है कि सायल वाद भूमि का सह खातेदार है तथा उक्त खाते में काश्त करता है। सायल ने वादग्रस्त भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से विभाजन हेतु दावा किया है। चूंकि विवादित भूमि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 574/783 के खसरा सं0 1342/467 की 4.161है0, खसरा सं0 440 की 7.120है0, खसरा सं0 611 की 6.095है0 कुल खसरा 3 की कुल 17.376है0 बारानी खातेदारी में भूमि बटवारा व अलग लगान कायम कराने हेतु सायल का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र सायल के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा गैरसायल इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 सुविधा का संतुलनः– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायल को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही गैरसायलान ने यह प्रस्तुत नही किया कि उक्त आराजी खाता व लगान अलग अलग कायम किया हुआ है यदि गैरसायलान वादग्रस्त आराजी में सायल के हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में दखल देते है तो सायल को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजो के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी सायल के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में और गैरसायल के खिलाफ साबित होता है।

Scanned with CamScanner

3 अपूर्णीय क्षतिः– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों सायल के पक्ष में सावित हुए हैं। चुंकि प्रार्थी/वादी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से का खाता विभाजन व लगान अलग कराने हेतु वाद हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में सायल को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो गैर सायल द्वारा किसी प्रकार से सायल की कब्जा काश्त व उसके हक हिस्सा की भूमि के उपयोग व उपभोग में गैरसायलान वाधा डालने में कामयाव हो जाता है तथा उसे वादभूमि से वेदखल करने में कामयाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि सायल के पक्ष में तीनों विन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति वखूवी सावित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 वावत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति सावित होने से स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पावंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के 12397/34752 हिस्से में उसकी कब्जा काश्त में कोई दखल व वाधा स्वयं व अपने आदमियों द्वारा ताफैसला दावा ना करें तथा मौका की स्थिति वनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner